भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2439
(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

तमिलनाडु में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

2439. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कंपनियों द्वारा कुल कितनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि वर्ष-वार और क्षेत्र-वार खर्च की गई है;
(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत तमिलनाडु में कितनी कंपनियों से सीएसआर निधि खर्च करने की अपेक्षा थी और इस अवधि के दौरान कितनी कंपनियों ने अपने अनिवार्य सीएसआर दायित्वों को पूरा नहीं किया;
(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में सीएसआर व्यय की पारदर्शिता, निगरानी और जिला-वार रिपोर्टिंग में सुधार के लिए कोई उपाय आरम्भ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में कार्यान्वित प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फ़ाइल करना होता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तमिलनाडु में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख): कंपनी के बोर्ड को कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी

जारी..2/-

के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके लिए लेखा परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण बताने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, मौजूदा ढांचा अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो ऐसी गैर-अनुपालन कंपनियों के विरुद्ध रिकॉर्ड की उचित जांच करने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग): सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और उसके कार्यान्वयन क्षेत्र की पहचान मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा आदि के संबंध में मौजूदा कानूनी प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपें गये कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर व्यय की गई है।

(घ): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दायर सीएसआर व्यय से संबंधित आंकडे जिसमें परियोजना-वार आंकड़े भी शामिल है सहित www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2439 के भाग (क) से संदर्भित।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक तमिलनाडु में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	0.15	1.19	1.60	2.75	5.02
2.	पशु कल्याण	3.00	5.61	9.28	8.94	12.69
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	0.37	0.27	1.19	1.01	4.89
4.	कला और संस्कृति	12.72	43.40	8.96	37.25	17.68
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	6.01	10.33	14.46	26.91	26.61
6.	शिक्षा	451.36	407.72	416.97	666.71	701.35
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	85.77	98.73	136.00	99.64	156.41
8.	लैंगिक समानता	3.75	1.12	3.46	1.65	14.90
9.	स्वास्थ्य देखभाल	239.58	294.53	430.05	355.99	458.66
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	29.86	35.81	37.62	70.04	81.48
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	31.11	71.03	195.50	40.40	75.01
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	52.32	59.02	49.30	85.30	132.16
13.	सुरक्षित पेयजल	10.64	18.63	10.82	12.34	14.43
14.	स्वच्छता	9.60	34.09	16.96	28.59	18.48
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.42	2.44	3.48	9.00	6.67
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	2.17	6.21	8.31	1.09	1.91
17.	अनाथालय की स्थापना	1.24	0.37	1.78	2.32	2.06
18.	स्लम क्षेत्र विकास	0.12	4.07	1.14	6.71	6.84
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	4.76	6.18	16.80	6.10	17.44
20.	विशेष शिक्षा	3.86	8.10	9.07	18.66	21.19
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	6.14	4.89	0.26	0.38	0.22
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	22.72	11.23	16.38	29.74	55.16
23.	व्यावसायिक कौशल	82.14	39.00	35.98	101.57	121.51
24.	महिला सशक्तिकरण	7.94	10.06	15.66	24.04	13.45
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	2.53	0.04	0.00	-	2.54
26.	कुल	1,072.26	1,174.07	1,441.03	1,637.12	1,968.76

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनी ने सेक्टर के नाम निर्दिष्ट नहीं किए।